TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(II) OF THE GAZETTE OF INDIA.

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 16th February, 2000.

NOTIFICATION
INCOME TAX

No. It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Central Government for the period mentioned against their names, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income tax Act, 1961, read with Rule 6 of the Income tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:-

i) The notified Association shall maintain separate books of accounts for its research activities;

ii) The notified Association shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year on or before 31st May of each year;

iii) The notified Association shall submit, on behalf of the Central Government, to (a) the Director General of Income tax (Exemptions), 10 Middleton Row, 5th Floor, Calcutta-700071 (b) the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) the Commissioner of Income tax/Director of Income tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, on or before the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income tax Act, 1961 in addition to the return of income tax to the designated assessing officer.

S No.	Name of the organisation approved	Period for which Notification is effective
1.	Indian Institute of Health Management Research, 1, Prabhu Dayal Marg, Sanganer Airport, Jaipur-302011	1.4.99 to 31.3.2002

Notes: The notified Association is advised to apply in triplicates and well in advance for renewal of the approval, to the Central Government through the Commissioner of Income tax/Director of Income tax (Exemptions) having jurisdiction. Three copies of the application for renewal of approval shall also be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

(Kamlesh C. Varshney)
Under Secretary to the Govt. of India

Notification No. 11238 (F. No.203/25/2000 – ITA-II)

To,

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi

Copy forwarded to:

1. The applicant organisations.
2. The Director General of Income tax (Exemptions), Calcutta.
3. Comptroller & Auditor General of India
4. The Director, Department of Scientific and Industrial Resarch, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016
5. Commissioner of Income Tax, Bikaner.
6. Concerned file and Guard file

(Kamlesh C. Varshney)
Under Secretary to the Govt. of India

भारत के राजपत्र भाग ।। खण्ड 3(i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 16th फरवरी, 2000

अधिसूचना

आयकर

सं0 सामान्य जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार नीचे लिखे संगठनों को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा(1) के खण्ड(ii) के प्रयोजनार्थ "संघ" श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित करती है:-

(i) अधिसूचित संघ अपने अनुसंधान कार्यकलापों के लिए अलग लेखा बहियों का रख-रखाव करेगा;

(ii) अधिसूचित संघ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रत्येक 31 मई को अथवा उससे पहले सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग "टेक्नोलाजी भवन", न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को प्रस्तुत करेगा;

(iii) अधिसूचित संघ केन्द्र सरकार की तरफ से नामोदित निर्धारण अधिकारी को आयकर की विवरणी प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अपने लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति तथा अपने अनुसंधान कार्यकलापों जिसके लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा(1) के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई थी के संबंध में आय एवं व्यय खाते की लेखा-परीक्षा की भी एक प्रति संस्था पर अधिकार क्षेत्र वाले (क) आयकर महा-निदेशक(छूट), 10 मिडिलटन रो, पांचवा तल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग तथा (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक(छूट) को प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर को अथवा उससे पहले प्रस्तुत करेगा ।

क्रम सं	अनुमोदित संगठन का नाम	अवधि जिसके लिए अधिसूचना प्रभावी है
1.	इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ हैल्थ मैनेजमेंट रिसर्च 1, प्रभु दयाल मार्ग, संगानेर एयरपोर्ट, जयपुर-302011	1.4.99 से 31.3.2002

टिप्पणी:- अधिसूचित संघ को सलाह दी जाती है कि वे अनुमोदन के नवीकरण के लिए तीन प्रतियों में और पहले ही अधिकार क्षेत्र वाले आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को आवेदन करें । अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र की तीन प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी ।

(कमलेश सी0 वार्ष्णेय)
अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं0 11238 (फा0सं0 203/25/2000 आयकर नि0-II)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि अंग्रेजी पाठानुसार प्रेषित ।